FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/07/2022 15:44 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Monday **Date from (दिनांक से):** 16/08/2010 **Date To (दिनांक तक):** 16/08/2010

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/07/2022 **Time (समय):** 15:11 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/07/2022 15:11 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 10 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Tehsil, Ambala Cantt,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** RAGHBIR SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 19/12/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):** Government Employee

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**BAKNAUR, AMBALA SADAR, AMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**BAKNAUR, AMBALA SADAR, AMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9991285377

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मेवा राम			1. तत्कालीन तहसीलदार,अम्बाला छावनी, AMBALA,HARYANA,INDIA
2	अनिल कुमार			1. तत्कालीन हल्का पटवारी,तहसील अम्बाला छावनी, AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,

राज्य चौकसी ब्यूरो ,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 07.02.2019 अम्बाला अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ के यादी क्रमांक 62/21/2019-4 चौकसी-1 दिनांक 31.01.2019 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक 2369/आई-1/रा.चौ.ब्यू. (ह.) दिनांक 08.02.2019 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यू0 अम्बाला में पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसमें आयुक्त अम्बाला द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आरोप था कि गांव कराधान जिला अम्बाला की 934 कनाल 9 मरले शामलात देह की जमीन का पटवारी हलका दल सिंह ने दिनांक 11.03.2006 को इन्तकाल न0 6948 गांव के अलग-अलग हिस्सेदारों के नाम हिस्साकसी अनुसार तबदील मलकियत का दर्ज कर दिया। हलका कानूनगो सूरजभान द्वारा दिनांक 12.03.2006 को मुकाबला करने उपरान्त दिनांक 16.03.2006 को सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा मन्जूर कर दिया गया। दिनांक 15.05.2006 को ग्राम पंचायत, कराधान ने कलैक्टर, अम्बाला के न्यायलय मे पंजाब विलेज कांमन लेंडज़ एक्ट की धारा 13-ए के तहत पृथ्वी सिंह व अन्य के विरूद्ध केस दायर किया कि ग्राम पंचायत को इस भूमि का मालिक घोषित किया जाए, क्योंकि इस शामलात भूमि की गलत तरीके से हिस्सेदारो के नाम मलकियत तबदील की गई है। दिनांक 15.05.2006 को कलैक्टर, अम्बाला द्वारा आगामी आदेशों तक उपरोक्त भूमि पर यथास्थिति बहाल करने के आदेश जारी कर दिये और दिनांक 19.03.2007 को कलैक्टर अम्बाला द्वारा उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध मे भूमि विक्रय करने पर आगामी आदेश तक स्थगन आदेश पारित किए। दिनांक 20.04.2011 को कलैक्टर, अम्बाला ने ग्राम पचांयत द्वारा दायर किए गये केस को खारिज कर दिया कि अब यह गांव नगर निगम, अम्बाला में आ चुका है, इसलिए इस पर पंजाब विलेज कॉमन एक्ट लागू नही होता। इसके बाद दिनांक 26.05.2011 को ग्राम पंचायत कराधान द्वारा आयुक्त, अम्बाला मण्डल अम्बाला के न्यायलय में अपील दायर की। जिसका निपटान दिनांक 08.01.2013 को इस आदेश के साथ किया गया कि इस बारे आयुक्त नगर निगम, अम्बाला के न्यायालय मे चाराजोही करे। संयुक्त उप रजिस्ट्रार अम्बाला छावनी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनाकं 15.06.2006 व 19.03.2007 की उल्लघनां करते हुए वसीका पंजीकृत कर दिए और हलका पटवारी द्वारा रोजनामचा वाक्याती वर्ष 2005-06 व राजस्व रिकार्ड मौजा करधान में कलैक्टर अम्बाला के आदेश का कोई इन्द्राज नही किया।

जांच में लगाये गये आरोप की पड़ताल श्री रामदत्त, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला द्वारा की गई। राजस्व रिकार्ड अनुसार व पड़ताल के दौरान पाया गया कि श्री मेवा राम, तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी द्वारा तत्कालीन कलैक्टर, अम्बाला द्वारा पारित किए गए आदेश दिनाकं 15.06.2006 व 19.03.2007 की अवहेलना करते हुए गावं करधान की शामलात देह जमीन की वर्ष 2010 के दौरान रजिस्टरी न0 क्रमशः 767 दिनांक 16.08.2010, 768 दिनांक 16.08.2010, 769 दिनांक 16.08.2010, 770 दिनांक 16.08.2010, 771 दिनांक 16.08.2010, 772 दिनांक 16.08.2010, 774 दिनांक 16.08.2010, 775 दिनांक 16.08.2010, 776 दिनांक 16.08.2010, 778 दिनांक 16.08.2010, 784 दिनांक 16.08.2010, 785 दिनांक 16.08.2010 कुल 12 रजिस्ट्रीयां पंजीकृत की गई है। उपरोक्त दर्शाई गई सभी 12 रजिस्ट्रीयों का इन्तकाल श्री अनिल कुमार, तत्कालीन हल्का पटवारी करधान द्वारा दर्ज किया गया है व इस इन्तकाल को श्री मेवा राम, तत्कालीन नायब तहसीलदार, अम्बाला छावनी द्वारा स्वीकृत किया गया है। इन रजिस्ट्रीयों अनुसार गांव करधान की शामलात देह जमीन का कुल 211 कनाल 6 मरले रकबा विक्रय किया गया है। उपरोक्त अनुसार श्री मेवा राम, तत्कालीन नायब तहसीलदार (सेवानिवृत) द्वारा तत्कालीन उपायुक्त महोदय अम्बाला द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद वर्ष 2010 में गांव करधान की शामलात देह भूमि को बेचने के लिए 12 रजिस्टरीयां पंजीकृत की गई है। जबकि इस जमीन की खरीद-फरोक्त नही की जा सकती। जो श्री मेवा राम तत्कालीन नायब तहसीलदार व श्री अनिल कुमार तत्कालीन हलका पटवारी करधान द्वारा वर्ष 2010 में उपरोक्त 12 रजिस्टरीयों के पजींकरण में आपस में मिलिभगत करके तथा इन रजिस्टरीयों का इंतकाल दर्ज करके अपने पद का दुरूप्योग करते हुए सरकार को राशि 1,84,88,750/-रू0 की हानि पहुंचाकर घोंर अपराध किया है तथा विक्रेताओ द्वारा शामलात देह जमीन को जालसाजी से

बेचकर सरकारी सम्पति को नुक्सान पहुंचाया है।

इसी भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, करधान द्वारा कलैक्टर अम्बाला व आयुक्त अम्बाला के न्यायालय में अपील की गई थी। जिस पर कलैक्टर अम्बाला द्वारा दिनांक 20.04.2011 को व आयुक्त अम्बाला द्वारा दिनांक 08.01.2013 को खारिज आदेश पारित किए गये थे कि गांव करधान नगर निगम अम्बाला में शामिल हो गया है। इसलिए नगर निगम क्षेत्र मे धारा 13-ए लागू नहीं होती है। इस विषय में आयुक्त नगर निगम, अम्बाला अपने स्तर पर सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करे, लेकिन जांच के दौरान पाया गया है कि नगर निगम, अम्बाला द्वारा उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जिसमें नगर निगम अम्बाला के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका भी सदिग्ंध है। उपरोक्त निष्कर्ष पर जांच अधिकारी ने श्री मेवा राम नायब तहसीलदार(सेवानिवृत), श्री अनिल कुमार तत्कालीन हलका पटवारी करधान व उपरोक्त 12 रजिस्ट्रियों के विक्रेताओं के विरूद्ध धाराधीन 420, 120-बी भा.द.स. व धारा 13(1)डी भ्रष्टाचार अनुमूलन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किए जाने व उपरोक्त इन्तकाल दर्ज होने के बाद गांव करधान, अम्बाला छावनी की शामलात भूमि की वर्ष 2014-2015 के दौरान हुई उपरोक्त 12 रजिस्ट्रीयों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने व अभियोग के अनुसंधान के दौरान वर्ष 2011 के बाद नगर निगम, अम्बाला के अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य को भी देख लिए जाने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 62/21/2019-4V-।। दिनांक 19.05.2022 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांक 9534/Secret/SVB(H) दिनांक 15.06.2022 अनुसार उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अंतः श्री मेवा राम नायब तहसीलदार(सेवानिवृत), श्री अनिल कुमार तत्कालीन हलका पटवारी करधान व उपरोक्त 12 रजिस्ट्रियों के विक्रेताओं के विरूद्ध धाराधीन 420, 120-बी भा.द.स. व धारा 13(1)d r/w13(2) भ्रष्टाचार अनुमूलन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किए जाने के लिये लेख अभियोग थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला में दिया जा रहा है। अभियोग अंकित करने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मजिस्ट्रेट, उच्च अधिकारीगण तथा सम्बधित विभागों को भिजवाई जायें व अभियोग अंकित करने उपरान्त उच्चाधिकारियों से आगामी अनुंसधान के आदेश प्राप्त होने पर अभियोग फाईल रिकार्ड सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के पास भेजी जाये।

(रामफल)
निरीक्षक
राज्य चौकसी ब्यूरो,
अम्बाला।

At- 03.05 PM

अज थानाः- लिखित लेख उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 14 दिनांक 28.07.2022 बाजूर्म उपरोक्त थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट मु.सि. गुरनाम सिंह 1454/अम्बाला के निजद ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला व उच्चाधिकारियों, के आदेशानुसार नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड निजद अनुसंधानकर्ता श्री अजय कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** ajay (Dy. SP (Deputy Superintendant of Police))/hps **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.